सं. 1(2)/2023/रक्षा (पेंशन/नीति)

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 जुलाई, 2024

सेवा में

थल सेनाध्यक्ष
नौ सेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय: वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत रक्षा सेना कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में दिनांक 01.07.2024 से संशोधन

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के पत्र संख्या 12(1)/2014/रक्षा (पेंशन/नीति)-भाग-II के पैरा 3(V) में उल्लिखित प्रावधानों का हवाला देने का निदेश हुआ है जो भविष्य में प्रत्येक 5 वर्षों में रक्षा सेना कार्मिकों की पेंशन के पुनर्निधारण से संबंधित है।

2. माननीय राष्ट्रपति जी का निर्णय है कि ओआरओपी योजना के अन्तर्गत पेंशन का अगला संशोधन दिनांक 01.07.2024 से लागू किया जाएगा। पेंशन संबंधी संशोधन दिनांक 07.11.2015 के रक्षा मंत्रालय के पत्र में अपनाए गए सिद्धांतों पर आधारित है और इनका विवरण नीचे दिया गया है:

2.1. पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निधारण कैलेण्डर वर्ष 2023 के रक्षा सेनाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन के आधार पर किया जाएगा और संबंधित हितलाभ दिनांक 01.07.2024 से लागू होंगे।

2.2. पात्र रक्षा सेनाओं के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निधारण समान रैंक तथा समान सेवावधि में कैलेण्डर वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त हुए रक्षा सेना कार्मिकों की न्यूनतम एवं अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर किया जाएगा।

2.3 . औसत से अधिक पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन संरक्षित की जाएगी।

2.4. यह लाभ युद्ध विधवाओं और निशक्त पेंशनभोगियों सहित पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिया जाएगा।

2.5. बकाया राशि का भुगतान एक वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाएगा।

2.6. "ऐसे कार्मिक जिन्होंने सेना नियम 1954 के नियम 13(3)I(i)(ख), 13(3)II(i)(ख) और 13(3)III(iv) अथवा नियम 16(ख) अथवा नौसेना अथवा वायु सेना नियमावली के समान नियम के तहत अपने स्वयं के अनुरोध पर दिनांक 01.07.2014 से (01.07.2014 को अथवा इसके बाद) सेवा से बाहर होने का विकल्प चुना था, वे ओआरओपी के लाभ के पात्र नहीं होंगे।"

3. इसके अलावा, ओआरओपी योजना के अन्तर्गत पेंशन के संशोधन संबंधी तालिकाओं के साथ विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

4. इसे इस मंत्रालय के वित्तीय प्रभाग की सहमति से इनकी आईडी नोट सं. 10(01)/2019/वित्त/पेंशन दिनांक 08.07.2024 के तहत जारी किया जाता है।

भवदीय,

(जे.के. साहू)
उपसचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि

1. मानक वितरण सूची के अनुसार
2. एएफए (पेंशन)
3. सीजीडीए, नई दिल्ली